न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 48 / 2021

ON LINE NO. 2021/67

निर्णय दिनांक [illegible]

दिलीप कुमार पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम जाखड अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह प्रार्थना पत्र दिलीप कुमार ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 84 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै.मू. कुआ, खसरा नम्बर 85 तादादी 6.4300 हैक्टेयर (6.32 हैक्टेयर चाही व 0.11 हैक्टेयर बारानी) वाकेरोही सांवतसर पटवार हल्का सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिस प्रार्थी का ही कब्जा व उपयोग चला आ रहा है। उक्त खसरा भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम दिलीप कुमार की जगह दलीपचन्द लिख दिया गया, जबकि प्रार्थी का नाम दिलीप कुमार पुत्र पतराम है। खातेदारी में सहबन से दिलीप कुमार पुत्र पतराम की जगह दलीपचन्द पुत्र पतराम दर्ज कर दिया गया, जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी को जब उपरोक्त खसरा की भूमि पर के.सी.सी. बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 19.02.2021 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के उक्त खातेदारी के खेत के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से दलीपचन्द पुत्र पतराम अंकित चला आ रहा है, जो आगे चौसाला जमाबन्दियों में भी उक्त नाम चलता रहा, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही दिलीप कुमार पुत्र पतराम रहा है। प्रार्थी कृषि पैशा व अनपढ़ व्यक्ति है तथा कृषि पैशा व्यक्ति होने के कारण व कृषि कार्य में रहने के कारण कभी अपने राजस्व रिकार्ड को नहीं संभाला। प्रार्थी अनपढ व कृषि पैशा व्यक्ति है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर ही सारी जानकारी हो पाई है। प्रार्थी के सरकारी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में भी प्रार्थी का नाम दिलीप कुमार पुत्र पतराम अंकित चला आ रहा है। प्रार्थी अपने गांव व रिश्तेदारी, परिवार आदि में दिलीप कुमार पुत्र पतराम के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के नाम के संबंध में सरपंच, ग्राम पंचायत सांवतसर द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया है। दिलीप कुमार व दलीपचन्द उक्त दोनों दस्तोजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी उपरोक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में [illegible] नाम दिलीप कुमार पुत्र पतराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरा भू[illegible] का गलत नाम दलीपचन्द पुत्र पतराम अंकित होने के कारण प्रार्थी को उपरोक्त [illegible] भूमि पर के.सी.सी. बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी फसल बीमा योजना से वंचित [illegible] रहा है तथा सरकार द्वारा समय समय पर कृषि भूमि पर फसल बीमा, सुधार कार्य [illegible]कुण्ड आदि पर दी जाने वाली अनुदान राशि से भी वंचित हो रहा है यानि प्रार्थी सरकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:11:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

सुविधाओं व लाभों को नहीं ले पा रहा है। वर्णित खसरा भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 19.02.2021 को अप्रार्थी से निवेदन किया कि मेरा नाम दिलीप कुमार है तथा मेरे सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड व पेन कार्ड में भी मेरा नाम दिलीप कुमार पुत्र पतराम चला आ रहा है परन्तु चौसाला जमाबन्दियों में मेरा नाम गलत रूप से दलीपचन्द पुत्र पतराम अंकित चला आ रहा है जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम दिलीप कुमार पुत्र पतराम अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि ऐसी गलती जिसको हम दुरूस्त नही कर सकते, इसलिए आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वर्णित खसरा भूमि ग्राम सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है व प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 84 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 5 तदादी 6.4300 हैक्टेयर(6.32 हैक्टेयर चाही व 0.11 हैक्टेयर बारानी) वाकेरोही सांवतसर पटवार हल्का सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम दलीपचन्द पुत्र पतराम अंकित हुआ है उसकी जगह दिलीप कुमार पुत्र पतराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जवाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 84 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 5 तदादी 6.4300 हैक्टेयर (6.32 हैक्टेयर चाही व 0.11 हैक्टेयर बारानी) वाकेरोही सांवतसर पटवार हल्का सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम दलीपचन्द पुत्र पतराम अंकित हुआ है उसकी जगह दिलीप कुमार पुत्र पतराम नाम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक 05-0[illegible] को [illegible]लास मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की [illegible] गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible]श सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:11:16 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़